विशेष संदेश वाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 437/6/1/भा.नि.आ./अनु./प्रकार्या/एमसीसी/2019 दिनांक : 04 जुलाई, 2019

सेवा में,

1. कैबिनेट सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन
   नई दिल्ली
2. क) ओडिशा, भुवेनश्वर; और
   ख) तमिलनाडु, चैन्नई
   सरकार के मुख्य सचिव
3. क) ओडिशा, भुवेनश्वर; और
   ख) तमिलनाडु, चैन्नई
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्यता – ओडिशा की राज्य विधान सभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं.भा.नि.आ./प्रे.नो./23/2019 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें आयोग ने लोक सभा और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा कतिपय उप-निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की थी।

2. ओडिशा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उपधारा(1)(ग) के उपबंधों के अंतर्गत निर्वाचन लड़ रहे एक अभ्यर्थी, श्री बेद प्रकाश अग्रवाल की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया था।

3. दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं.464/ईपीएस/2019(2) के तहत तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन संबंधी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा आयोग की दिनांक 14-4-2019 की कार्यवाही सं. 464/भा.नि.आ./पत्र/प्रादे./त.ना./एसएस-I/2019 के अनुसरण में निरस्त कर दिया गया था। आयोग ने इस संबंध में दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को प्रेस नोट सं./ईसीआई/प्रे.नो./49/2019 जारी किया।

4. अब, आयोग ने दिनांक 4 जुलाई, 2019 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./69/2019 और सं. ईसीआई/प्रे.नो./70/2019 के तहत **ओडिशा राज्य विधान सभा के 96-पटकुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 8-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की है।

5. आदर्श आचार संहिता के उपबंध उस जिले(लों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल है।

6. कृपया इसे सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं।

भवदीय,

(नरेन्द्र एन.बुटोलिया)
प्रधान सचिव